

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

पत्रावली संख्या: प.1(24)नविवि/भरतपुर/2025

दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

-: अंतिम अधिसूचना :-

(अतर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासने और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19(1) एवं राजस्थान नियम 21(1) के अधीन घोषणा)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 19(1) एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2016 के नियम 21(1) के अन्तर्गत ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए राजस्थान राज्य के भरतपुर शहर में योजना स्कीम नं.-13 में 120 फिट सड़क निर्माण के लिए कुल 1.71038 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए यह घोषणा की जाती है कि लोक प्रयोजन के लिए उपर्युक्त परियोजना हेतु राजस्थान राज्य के भरतपुर शहर में योजना स्कीम नं.-13 में 120 फिट सड़क निर्माण के लिए कुल 1.71038 हेक्टेयर भूमि अवाप्ताधीन है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	अवाप्त क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	अवाप्त क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	भूस्वामी का नाम
1	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	496	निजी	623.00	0.06230	0.240	1. फूलचन्द पुत्र गंगाप्रसाद 2. योगेशसिंह पुत्र केपी सिंह 3. भागचन्द पुत्र गंगाप्रसाद 4. नीरज तिवारी पुत्र छीतरमल

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टर)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टर)	भूस्वामी का नाम
									5. नन्दन शर्मा पुत्र छीतरमल शर्मा 6. सुखदेई पत्नी अतरसिंह 7. पुष्पा शर्मा पत्नी छीतरमल 8. चंचल तिवारी पत्नी हरिओम तिवारी 9. नवीन शर्मा पुत्र छीतरमल शर्मा 10. सतीश पुत्र नन्नूराम
2	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	589	सरकारी	2100.00	0.21000	0.210	नगर विकास न्यास, भरतपुर
3	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	447/192 6	सरकारी	1900.00	0.19000	0.190	नगर विकास न्यास, भरतपुर
4	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	446	सरकारी	1000.00	0.10000	0.100	नगर विकास न्यास, भरतपुर
5	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	445	सरकारी	300.00	0.03000	0.030	नगर विकास न्यास, भरतपुर
6	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	563	निजी	147.30	0.01473	0.690	मन्दिर श्रीनाथ जी महाराज, साण अटलबंद दरवाजा
7	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	497	निजी	623.50	0.06235	0.260	1. हरनारायण पुत्र वल्लभ 2. खैमचन्द पुत्र कलुआ 3. करनसिंह पुत्र कलुआ 4. मोहनलाल पुत्र कलुआ 5. रामकिशन पुत्र कलुआ
8	भरतपुर	भरतपुर	चक न. 01	501	सरकारी	1578.00	0.15780	0.390	नगर विकास न्यास, भरतपुर
						8271.80	0.82718	2.110	

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील का नाम	गाँव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टर)	अवाप्त क्षेत्रफल (हैक्टर)	कुल क्षेत्रफल (हैक्टर)	भूस्वामी का नाम
1	भरतपुर	भरतपुर	श्रीनगर	116	सरकारी	5400.00	0.54000	0.540	नगर विकास न्यास, भरतपुर
2	भरतपुर	भरतपुर	श्रीनगर	295	सरकारी	3100.00	0.31000	0.310	नगर विकास न्यास, भरतपुर
3	भरतपुर	भरतपुर	श्रीनगर	527	निजी	332.00	0.03320	0.220	1. बुद्धि पुत्र परभाती 2. अतरी पुत्री परभाती 3. विमरा पुत्री परभाती 4. रामदयाल पुत्र परभाती 5. रामचरन पुत्र परभाती
						8832.00	0.88320	1.070	
परियोजना में प्रस्तावित कुल अवाप्त रकबा :						17103.80	1.71038	3.1800	

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापना में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) में उचित क्षतिपूर्ति और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 15 के प्रावधानों के तहत हितबद्ध व्यक्तियों/खातेदारों से उक्त भूमि के अधिग्रहण के संबंध में प्राप्त आपत्तियों को सुनने एवं जांच उनके निस्तारण कर एवं सरकार द्वारा अनुमोदित करने के उपरांत की गई है।

भू-अर्जन के कारण पुनर्वासन होने वाले परिवारों की संख्या शून्य है।

कोयला, लौहा, पत्थर स्लेट या अन्य खनिजों की खादानों के होने की स्थिति में उपरोक्त भूमि के किसी विशेष हिस्से जिनकी खानों और खनिज जिनको खोदा जाना आवश्यक हो सकता है कि ऐसे भागों को छोड़कर/निकालकर परियोजना के निर्माण चरण के दौरान भूमि का इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसी भूमि का ही अधिग्रहण किया जा सकता है।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण/अवलोकन भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर किया जा सकता है।

प्रस्तावित भूमि अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति का विस्थापन निहित नहीं है।

अथवा

उक्त परियोजना के पुनर्वासन योजना प्रस्ताव शून्य होने से प्रभावित भू-अर्जन से प्रभावित किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों का पुनर्वासित किया जाना प्रस्तावित नहीं है, परियोजना रिपोर्ट का अवलोकन **भूमि अवाप्ति अधिकारी, भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज.)** के कार्यालय में किया जा सकता है।

आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम